रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 19, 2002/चैत्र 29, 1924

No. 183] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 19, 2002/CHAITRA 29, 1924

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2002

सं. 43/2002-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 292(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, निर्यात और आयात नीति के पैराग्राफ 4.6.1 के उप-पैरा (क) और (ख) के अनुसार जारी किए गए अग्रिम लाइसेंस (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त लाइसेंस कहा गया है) के अधीन भारत में आयात की गई सामग्रियों को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3, धारा 8 और धारा 9क के अधीन क्रमशः उन पर उदग्रहणीय सम्पूर्ण शुल्क, संरक्षण शुल्क और प्रतिपादन शुल्क में निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट प्रदान करती है, अर्थात् :—

(i) आयात की गई सामग्री का विवरण, मूल्य और मात्रा उक्त लाइसेंस द्वारा कवर होते हैं और उक्त लाइसेंस को नामे के लिए निकासी के समय सीमाशुल्क के समुचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

(ii) जहां आयात निर्यात बाध्यता को पूरा करने के पश्चात् होता है, वहां लदान बिल संख्या (संख्याएं) और तारीख (तारीखें) और मात्रा और निर्यातित परिणामी उत्पाद का पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य उक्त लाइसेंस पर पृष्ठांकित किए जाते हैं।

बशर्ते कि जहां आयात निर्यात बाध्यता को पूरा करने से पहले किए जाते हैं, वहां निर्यात किए जाने वाले परिणामी उत्पाद का पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य उक्त लाइसेंस पर पृष्ठांकित किया जाता है।

(iii) आयातकर्ता, आयातित सामग्री के निकासी के समय ऐसे प्रतिभू या ऐसी प्रतिभूतिसहित और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी राशि के लिए जो सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप-सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, स्वयं को आबद्ध करते हुए एक बंधपत्र निष्पादित करता है कि ऐसी छूट जिसकी बाबत इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है, यदि न दी जाए तो मांग किए जाने पर उक्त सामग्री की निकासी की तारीख से चौबीस प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित उतनी रकम का संदाय करेगा, जो ऐसी आयातित सामग्री पर उदग्रहणीय शुल्क के बराबर हो,

परन्तु निर्यात बाध्यता के पूर्णत: उन्मोचन के पश्चात् किए गए आयात की बाबत बंधपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

(iv) आयात और निर्यात मुम्बई, कोलकाता, कोचीन, मगदल्ला, काकीनाड़ा, कांडला, मंगलौर, मारमागोआ, मद्रास, भावसिया, पारादीप पीपानव, सिक्का, तुतीकोरीन, विशाखापत्तनम, देऐज, मुन्द्रा, नागापट्टिनम, और ओखा स्थित समुद्री पत्तनों के द्वारा यह अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, मुम्बई, कलकत्ता, कोयम्बतूर, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, मद्रास, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम, वाराणसी, नागपुर और कोचीन स्थित किसी विमानपत्तन द्वारा या आगरा, बंगलौर, कोयम्बतूर, दिल्ली, फरीदाबाद, गुवाहटी, गुन्टूर, हैदराबाद, जयपुर, जालन्धर, कानपुर, लुधियाना, मुरादाबाद, नागपुर, पिम्परी (पुर्जे), पीतमपुर (इन्दौर), सूरत, तिन्पुर, वाराणसी, नासिक, रूद्रपुर (नैनीताल), दिल्ली (पूणे), बड़ौदरा, दौलताबाद, (बंजारवाड़ी और मालीवाड़ा), बालुज (औरंगाबाद), अनापल्ली (आंध्र प्रदेश), सेलम, मालनपुर, सिंछनालुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अहमदाबाद, भिवाड़ी और मुदरई, भीलवाड़ा, पांडिचेरी और गढ़ी हसारू स्थित किसी अन्तरदेशीय कंटेनर डिपो द्वारा या रानाथाट और सिंहबाद स्थित भूमि सीमाशुल्क स्टेशन द्वारा किया जाता है :

परन्तु सीमाशुल्क आयुक्त, विशेष आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसके द्वारा विहित की जाएं, किसी अन्य समुद्री पत्तन/विमानपत्तन/अन्तरदेशीय कंटेनर डिपो से या किसी भूमि सीमाशुल्क स्टेशन द्वारा आयात और निर्यात अनुज्ञात कर सकेगा।

(v) निर्यात बाध्यता, जैसाकि उक्त लाइसेंस (मूल्य और मात्रा दोनों के अनुसार) में निर्दिष्ट है, का उन्मोचन उक्त लाइसेंस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मंजूर की जाए, उक्त लाइसेंस में यथा विनिर्दिष्ट भारत में विनिर्मित परिणामी उत्पादों का निर्यात करके किया जाता है और जिनके संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 18 या नियम 19 के अधीन सुविधाएं नहीं ली गई हैं :

परन्तु अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस धारक उक्त निर्यात और आयात नीति के पैरा 4.1.1 के उप-पैरा (ख) के अनुसार आखिरी निर्यातक को परिणामी उत्पादों की आपूर्ति करके निर्यात बाध्यता का निर्वहन करेगा।

(vi) आयातकर्ता, सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप-सीमाशुल्क आयुक्त के समाधानप्रद रूप में निर्यात बाध्यता उन्मोचन के साक्ष्य निर्यात बाध्यता के पूरा करने के लिए अनुज्ञात अवधि की समाप्ति से तीस दिवस की अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप-सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रस्तुत करता है।

(vii) उक्त अनुज्ञप्ति और सामग्रियों का हस्तांतरण या विक्रय नहीं किया जाएगा :

(viii) किसी वणिक निर्यातकर्ता को जारी की गई अग्रिम अनुज्ञप्ति के संबंध में, —

(क) उक्त अनुज्ञप्ति में समर्थक विनिर्माता का नाम और पता विनिर्दिष्ट किया जाता है और उक्त प्रमाण-पत्र तथा शर्त (ii) के निबंधनों के अनुसार आयातकर्ता द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित बंधपत्र, वार्षिक निर्यातकर्ता और समर्थक विनिर्माता द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दष्ट शर्तों का अनुपालन करने के लिए उन्हें संयुक्त रूप से निष्पादित किया जाएगा ; और

(ख) निर्यात बाध्यता का उन्मोचन करने के लिए ऐसे समर्थक विनिर्माता के कारखाने में छूट प्राप्त सामग्रियों का उपयोग किया जाता है और उक्त मर्चेंट निर्यातक द्वारा इसे अंतरित या बेचा या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाएगा।

2. जहां सामग्रियां दोषपूर्ण या उपयोग उपयोग के लिए अनुपयुक्त पायी जाती हैं वहां उक्त सामग्रियों का उनके आयात करने पर शुल्क के संदाय की तारीख से तीन वर्ष के भीतर विदेशी प्रदायकर्ता को वापस पुन: निर्यात किया जा सकेगा।

परन्तु सामग्रियों के पुन: निर्यात के समय सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप-सीमाशुल्क आयुक्त के समाधानप्रद रूप में यह पहचान की जाती है कि यह वही सामग्री है जो आयात की गई थी।

स्पष्टीकरण :—

इस अधिसूचना में,

(i) "निर्यात-आयात नीति" से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1/2002—2007, तारीख 31 मार्च, 2002 के अधीन प्रकाशित निर्यात और आयात नीति 2002—2007 अभिप्रेत है।

(ii) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से विदेश व्यापार विकास और विनियमन, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अधीन नियुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार या उक्त अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए उसके द्वारा प्रधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है:

(iii) "सामग्रियों" से अभिप्रेत है—

(क) परिणामी उत्पाद के विनिर्माण के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्रियां, संघटक, मध्यवर्ती, खपने योग्य सामग्री, उत्प्रेरक कम्प्यूटर साफ्टवेयर और पुर्जे;

(ख) अनुज्ञप्ति के मूल्य सीमा के दस प्रतिशत के भीतर ऐसे अनिवार्य अतिरिक्त पुर्जे जिन्हें परिणामी उत्पाद के साथ निर्यात किया जाना अपेक्षित है ;

(ग) परिणामी उत्पाद के विनिर्माण के लिए अपेक्षित ईंधन, तेल और उत्प्रेरक ; और

(घ) परिणामी उत्पाद को पैक करने के लिए अपेक्षित पैकिंग सामग्री।

[फा० सं० 605/201/2001-प्रतिअदायगी]

आलोक झा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2002

No. 43/2002-CUSTOMS

G.S.R. 292 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts materials imported into India, against an Advance Licence issued in terms of sub-paras (a) and (b) of paragraph 4.1.1 of the Export and Import Policy (hereinafter referred to as the said licence), from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and from the whole of the additional duty, safeguard duty and anti-dumping duty leviable thereon respectively under sections 3, 8 and 9A of the said Customs Tariff Act, subject to the following conditions namely :—

(i) that the description, value and quantity of materials imported are covered by the said licence and the said licence is produced before the proper officer of customs at the time of clearance for debit;

(ii) that where import takes place after fulfilment of export obligation, the shipping bill number(s) and date(s) and quantity and FOB value of the resultant product exported are endorsed on the said licence :

Provided that where import takes place before fulfilments of export obligation, the quantity or FOB of the resultant product to be exported are endorsed on the said licence;

(iii) that the importer at the time of clearance of the imported materials executes a bond with such surety or security and in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Commissioner of customs or Deputy Commissioner of customs binding himself to pay on demand an amount equal to the duty leviable, but for the exemption, on the imported materials in respect of which the conditions specified in this notification have not been complied with, together with interest at the rate of twenty-four percent per annum from the date of clearance of the said materials :

Provided that bond shall not be necessary in respect of imports made after the discharge of export obligation in full,

(iv) that the imports and exports are undertaken through sea ports at Mumbai, Kolkata, cochin, Magdalla, Kakinada, Kandla, Mangalore, Marmagoa, Madras, Nhava Sheva, Paradeep, Pipavav, Sikka, Tuticorin, Visakhapatnam, Dahej, Mundhra, Nagapattinam and Okha or through any of the airports at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Mumbai, Kolkata, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Jaipur, Madras, Srinagar, Trivandrum, Varanasi, Nagpur and Cochin or through any of the Inland Container Depots at Agra, Bangalore, Coimbatore, Delhi, Faridabad, Gauhati, Guntur, Hyderabad, Jaipur, Jallandhar, Kanpur, Ludhiana, Moradabad, Nagpur, Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Surat, Tirupur, Varanasi, Nasik, Rudrapur (Nainital), Dighi (Pune), Vadodara, Daulatabad (Wanjarwadi and Maliwada), Walaj (Aurangabad), Anaparthy (Andhra Pradesh), Salem, Malanpur, Singanalur, Jodhpur, Kota, Udaipur, Ahmedabad, Bhiwadi, Madurai, Bhilwara, Pondicherry and Garhi Harsaru or through the Land Customs Station at Ranaghat and Singhabad :

Provided that the commissioner of Customs may by special order and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export from any other Seaport/Airport/Inland Container Depot or through any Land Customs Station;

(v) that the export obligation as specified in the said licence (both in value and quantity terms) is discharged within the period specified in the said licence or within such extended period as may be granted by the Licensing Authority by exporting resultant products, manufactured in India which are specified in the said licence and in respect of which facility under rule 18 or rule 19 of the central Excise rules, 2002 has not been availed :

Provided that an Advance Intermediate Licence holder shall discharge export obligation by supplying the resultant products to ultimate exporter in terms of sub-para (b) of para 4.1.1. of the said Export and Import Policy;

(vi) that the importer produces evidence of discharge of export obligation to the satisfaction of the Assistant Commiossiner of Customs or Deputy Commissioner of Customs within a period of 30 days of the expirty of period allowed for fulfilment of export obligation, or within such extended period as the said Assistant Commiossiner of Customs or Deputy Commissioner of Customs may allow;

(vii) that the said Licence and the materials shall not be transferred or sold;

(viii) that in relation to the said Licence issued to a Merchant Exporter,—

(a) the name and address of the supporting manufacturer is specified in the said licence and the bond required to be executed by the importer in terms of condition (ii) shall be executed jointly by the Merchant Exporter and the supporting manufacturer binding themselves jointly and serverally to comply with the conditions specified in this notification; and

(b) exempt materials are utilised in the factory of such supporting manufacturer for discharge of export obligation and the same shall not be transferred or sold or used for any other purpose by the said Merchant Exporter.

2 Where the materials are found defective or unfit for use, the said materials may be re--exported back to the foreign supplier within three years from the date for payment of duty on the importation thereof :

Provioded that at the time of re-export the materials are identified to the satisfaction of the Assistant Commiossiner of Customs or Deputy Commissioner of Customs as the materials which were imported.

Explanation.— In this notification,—

(i) "Export Import Policy" means the Export and Import Policy 2002—2007, published vide notification of the Government of India in the Minustry of Commerce No. 1/2002—2007 dated the 31st March, 2002;

(ii) "Licensing Authority" means the Dorrector General of foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant a licence under the said Act.

(iii) "Materials" means—

(a) raw materials, components, intermediates,. consumables, catalysts computer software and parts which are required for manufacture of resultant product;

(b) mandatory spares within a value limit of 10 per cent of the value of the licence which are required to be exported alongwith the resultant product;

(c) fuel, oil and catalysts required for manufacture of resultant product, and

(d) packing materials required for packaging of resultant product.

[F. No. 605/201/2001-DBK]

ALOK JHA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2002

सं. 44/2002-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 293 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट माल को, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय उतनी सीमाशुल्क से, जो मूल्य के 5 प्रतिशत की दर से संगणित रकम से अधिक है और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 या धारा 3क के अधीन उस पद उद्ग्रहणीय क्रमशः संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क और विशेष शुल्क से छूट देती है।

2. उपर्युक्त पैरा 1 में अंतर्विष्ट छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, होगी, अर्थात् :—

(1) आयातित माल, निर्यात और आयात नीति का अध्याय 5 के निबंधनों के अनुसार निर्यात संवर्धन पूंजी माल (नि.स.पूं.मा.) स्कीम के अधीन जारी की गई किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति के अंतर्गत आता है, जिसके द्वारा 5 प्रतिशत शुल्क की दर से माल का आयात अनुज्ञात किया गया है और उक्त अनुज्ञप्ति निकासी के समय समुचित सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा विकलन के लिए प्रस्तुत की जानी है;

परन्तु अतिरिक्त पुर्जों के आयात के लिए अनुज्ञप्ति की विधिमान्य अवधि वह अवधि मानी जाएगी जो संपूर्ण आयात बाध्यता को पूरा करने के लिए अनुज्ञात की गई हो।

(2) आयातकर्ता, से ऐसे प्ररूप में और ऐसी राशि के लिए ऐसे प्रतिभू या प्रतिभूति सहित जो सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप-सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पोत पर्यन्त निःशुल्क आधार पर आयातित माल की लागत, बीमा और भाड़ा मूल्य के पांच गुने के बराबर,

जैसा कि अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट है या ऐसी उच्चतर राशि के लिए, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नियत की जाए, निम्नलिखित अनुपात में अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने की तारीख से आठ वर्ष की अवधि के भीतर, स्वयं को आबद्ध करते हुए एक बंधपत्र निष्पादित करता है, अर्थात् :—

क्र.सं.	अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने की तारीख से अवधि	कुल निर्यात बाध्यता का अनुपात
1	2	3
1.	पहले और दूसरे वर्ष का ब्लॉक	शून्य
2.	तीसरे और चौथे वर्ष का ब्लॉक	15 प्रतिशत
3.	पांचवें और छठे वर्ष का ब्लॉक	35 प्रतिशत
4.	सातवें और आठवें वर्ष का ब्लॉक	50 प्रतिशत

परन्तु जहां लाइसेंस का लागत बीमा भाड़ा मूल्य 100 करोड़ रुपये से कम न हो, वहां निर्यात बाध्यता लाइसेंस जारी किए जाने की तारीख से 12 वर्षों की अवधि के भीतर निम्न अनुपातों में पूरी की जाएगी, अर्थात् :—

क्र.सं.	अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने की तारीख से अवधि	कुल निर्यात बाध्यता का अनुपात
1	2	3
1.	पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ष का ब्लॉक	शून्य
2.	छठे, सातवें और आठवें वर्ष का ब्लॉक	15 प्रतिशत
3.	नौवें और दसवें वर्ष का ब्लॉक	35 प्रतिशत
4.	ग्यारवें और बारहवें वर्ष का ब्लॉक	50 प्रतिशत

परन्तु किसी विशिष्ट ब्लॉक वर्ष की निर्यात बाध्यता को पूर्ववर्ती ब्लॉकों में किए गए अधिक निर्यातों द्वारा मंजूर किया जा सकेगा :

(3) आयातकर्ता, अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने की तारीख से दो वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक की समाप्ति से तीस दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप-सीमाशुल्क आयुक्त अनुज्ञात करें, सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप-सीमाशुल्क आयुक्त को समाधान प्रद रूप में पूरी की गई निर्यात बाध्यता का परिणाम दर्शित करने से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करता है और जहां दो वर्षों के किसी विशिष्ट ब्लॉक की निर्यात बाध्यता पूर्ववर्ती शर्त के निबंधनों के अनुसार पूरी नहीं की गई है, वहां आयातकर्ता, उक्त ब्लॉक की समाप्ति से तीन मास के भीतर उतनी रकम का, जो यदि इसमें अंतर्विष्ट छूट न दी गई होती तो, माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उस भाग के बराबर का जिसका वही अनुपात है जो निर्यात बाध्यता को पूरा न किए गए भाग का कुल निर्यात बाध्यता से है, माल की निकासी की तारीख से 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर सहित संदाय करेगा :

(4) आयातित, समंजित या विनिर्मित पूंजी माल आयातकर्ता के कारखाने या परिसर में संस्थापित किए जाते हैं और अधिकारिता वाले यथास्थिति सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या उप उत्पाद शुल्क आयुक्त या किसी स्वतंत्र चार्टरित इंजीनियर से आयातकर्ता के कारखाने या परिसरों में पूंजी माल के संस्थापन और उपयोग की पुष्टि करने वाला एक प्रमाण-पत्र, आयात के पूरा होने की तारीख से छह मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो उक्त सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त अनुज्ञात करे, प्रस्तुत किया जाता है,—

(i) ऐसा विनिर्माता निर्यातकर्ता और वणिक निर्यातकर्ता जिसके समर्थक विनिर्माता/विक्रेता हो;

(ii) कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए संविदा कृषि में उपयोग के लिए सिंचाई उपस्करों का आयात; और

(iii) इम्पोर्टर रेंडरिंग सर्विसेस की दशा में, पूंजी माल, किसी ऐसे अन्य व्यक्ति(यों) के कारखाने में या परिसर में संस्थापित किया जा सकेगा जिसका नाम और पता शर्त (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति पर पृष्ठांकित किया गया है और जहां आयातकर्ता और ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा शुल्क के पूर्ण अंतर के लिए बंधपत्र, शर्त (2) के निबंधनानुसार जहां-कहीं आवश्यक है, बैंक प्रत्याभूति सहित निष्पादित किया गया है और ऐसे विनिर्माता या अन्य व्यक्ति निर्यात बाध्यता को और इस अधिसूचना की अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के लिए और व्यतिक्रम की दशा में ब्याज सहित शुल्क का संदाय करने के लिए स्वयं को संयुक्त रूप से एवं पृथक रूप से आबद्ध करते हैं।

(5) शर्त (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अनुज्ञापन प्राधिकारी, निर्यात बाध्यता को पूरा करने वाली अवधि अथवा किसी ब्लॉक (कों) को बढ़ाया जाना मंजूर करता है या ऐसी निर्यात बाध्यता में 2 वर्ष तक की अवधि में पांच प्रतिशत से अनधिक की कमी को नियमित करता है वहां निर्यात बाध्यता को पूरा करने की उक्त अवधि को बढ़ाया जा सकेगा और सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा माफ की गई निर्यात बाध्यता की उक्त कमी मंजूर की जा सकेगी :

परन्तु जहां लाइसेंस का लागत बीमा भाड़ा मूल्य 100 करोड़ रुपए से कम न हो वहां समग्र रूप से निर्यात बाध्यता अवधि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी:

3. जहां माल दोषपूर्ण या उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है वहां उक्त माल का उसके आयात लिए जाने पर शुल्क के संदाय की तारीख से 3 वर्ष के भीतर विदेशी प्रदायकर्ता को वापिस पुनः निर्यात किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि निर्यात के समय सहायक सीमाशुल्क आयुक्त या उप सीमाशुल्क आयुक्त के समाधान प्रद रूप में यह पहचान कर ली जाती है कि यह वही माल है जिसका कि आयात किया गया था।

सारणी

क्रम सं.	माल का वर्णन
1	2
1.	पूंजी माल
2.	आयातकर्ता द्वारा पूंजी माल में समंजित किए जाने वाले एस के डी/सी के डी दशा में पूंजी माल।
3.	आयातकर्ता द्वारा पूंजी माल के संमजन या विनिर्माण के लिए अपेक्षित पूंजी माल के संघटक।
4.	ऐसे अतिरिक्त पुर्जे जो वस्तुतः आयातित और क्रम सं. 1, 2 और 3 में विनिर्दिष्ट माल मे मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक न हो और इस प्रकार आयातित, संमजित या विनिर्मित पूंजी माल के अनुरक्षण के लिए अपेक्षित हो।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना में,—

(1) "पूंजी माल" से निम्नलिखित के लिए अपेक्षित कोई संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर और उपसाधन अभिप्रेत है—

(क) अन्य माल का, जिसके अंतर्गत पैकेजिंग मशीनरी और उपस्कर, उच्च तापसह, प्रशीतन उपस्कर, शक्ति उत्पादन सेट, मशीन औजार आरंभिक चार्ज के लिए उत्प्रेरक तथा परीक्षण, अनुसंधान और विकास, क्वालिटी तथा प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपस्कर और उपकरण है, विनिर्माण या उत्पादन;

(ख) विनिर्माण, खनन, कृषि, जल कृषि, पशुपालन, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, अंगूरोत्पादन और रेशम कीट उत्पादन में उपयोग करना।

(2) "निर्यात और आयात नीति" से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/2002—2007, तारीख 31 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित निर्यात और आयात नीति 2002—2007 अभिप्रेत है;

(3) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अधीन नियुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार या उसके द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है ;

(4) "निर्यात बाध्यता" से,—

(i) ऐसे आयातकर्ताओं के संबंध में, उनसे भिन्न जो सेवाएं दे रहें हैं, ऐसा निर्यात अभिप्रेत है जो इस अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार, आयातित, समंजित या विनिर्मित पूंजी माल का उपयोग करके विनिर्मित उत्पादों का भारत के बाहर किसी स्थान को निर्यात करते है :

परन्तु कि निर्यात बाध्यता निम्नोक्त द्वारा भी पूरी की जाए :—

(क) इसी उत्पाद का निर्यात करना जिसका उत्पादन उक्त पूंजीगत माल का प्रयोग करके ही किया जा सके ; अथवा

(ख) इसी उत्पाद का निर्यात करना जो लाइसेंसधारक के भिन्न-भिन्न एककों में तैयार किया गया हो; अथवा

(ग) किसी निर्यातक द्वारा किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से किए गए निर्यातों अथवा लाइसेंसधारक की ओर से किसी उत्पादनकर्ता द्वारा किए गए इसी उत्पाद के निर्यात संबंधी मामलों में, अन्य बातों के साथ-साथ लदान बिलों में तीसरे पक्ष तथा लाइसेंसधारक के नामों का उल्लेख भी किया जाना चाहिए ; और (घ) उप-पैरा (क), (ख), (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ) तथा (ञ) तथा निर्यात आयात नीति के पैरा 8.2 की शर्तों के अनुसार इसी उत्पाद की आपूर्ति करना।

(ii) सेवाएं देने वाले आयातकर्ताओं के संबंध में ऐसे पूंजी मालों का उपयोग करके दी गई सेवाओं के लिए मुक्त रूप से संपरिवर्तनीय विदेशी करेंसी में संदायों का प्राप्त करना अभिप्रेत है।

[फा. सं. 605/201/2001-डीबीके]

आलोक झा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2002

No. 44/2002-CUSTOMS

G. S. R. 293 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods specified in the Table annexed hereto from so much of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) as is in excess of the amount calculatd at the rate of five percent ad valoram and from the whole of the additional duty and special additional duty leviable theron respectively under sections 3 and 3A of the said Customs Tariff Act.

2 The exemption contained in above paragraph, shall be subject to the following conditions, namely :—

(1) the goods imported are covered by a valid licence issued under the Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme in terms of Chapter 5 of the Export and Import Policy permitting import of goods at the rate of five per cent duty and th esaid licence is produced for debit by the proper officer of the customs at the time of clearance;

Provided that for the import of spare parts, the validity period of the licence shall be deemed to be the period permitted for fulfilment of the export obligation in full;

(2) the importer executes a bond in such form and for such sum and with such surety or security as may be specified by the Assistant Commissiner of Customs or Deputy Commissioner of Customs bindings himself to fulfil export obligation equivalent to five times the CIF value of the goods imported on FOB basis, as specified in the licence, or for such higher sum as may be fixed by the licensing authority, within a period of eight years from the date of issue of licence, in the following proportions, namely :—

S. No.	Period from the date of issue of licence	Proportion of total export obligation
1	2	3
1.	Block of 1st and 2nd year	Nil
2.	Block of 3rd and 4th year	15%
3.	Block of 5th and 6th year	35%
4.	Block of 7th and 8th year	50%:

Provided that where the CIF value of licence is not less than Rs. 100 crores, the export obligation shall be fulfilled within a period of 12 years from the date of issue of licence in the following proportions, namely :—

S. No.	Period from the date of issue of licence	Proportion of total export obligation
1	2	3
1	Block of 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th year	Nil
2.	Block of 6th, 7th and 8th year	15%
3.	Block of 9th and 10th year	35%
4.	Block of 11th and 12th year	50%.

Provided further that Export Obligation of a particular block may be set off against the excess exports made in the said preceding blocks ;

(3) the importer produces within 30 days from the expiry of each block from the date of issue of licence or within such extended period as the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs may allow, evidence to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs showing the extent of export obligation fulfilled, and where the export obligation of any particular block is not fulfilled in terms of the preceding condition, the importer shall within three months from the expiry of the said block pay duties of customs of an equal amount equal to that portion of duties leviable on the goods but for the exemption contained here in which bears the same proportion as the unfulfilled portion of the export obligation bears to the total export obligation together with interest at the rate of 24% per annum from the date of clearance of the goods;

(4) the capital goods imported, assembled or manufactured are installed in the importer's factory or premises and a certificate from the jurisdictional Assistant Commissioner of Central Excise or Deputy Commissioner of Central Excise or an independent Chartered Engineer, as the case may be, is produced confirming installation and use of capital goods in the importer's factory or premises, within six months from the date of completion of imports or within such extended period as the said Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs may allow :

Provided that in the case of :

(i) manufacturer exporter and merchant exporter having supporting manufacturer(s) or vendor(s),

(ii) import of irrigation equipment for use in contract farming for export of agricultural products, and

(iii) importer rendering services,

the capital goods may be installed at the factory or premises of such other person whose name and address are endorsed on the licence referred to in condition (i) and where the bond for full difference of duty, if necessary, in terms of condition (2), with a bank guarantee is executed by the importer and such other person binding themselves jointly and severally to fulfil the export obligation and all other conditions of this notification and to pay duty with interest in case of default;

(5) notwithstanding anything contained in condition (3), where the Licensing Authority grants an extension of block-wise period for any block(s) or overall period of fulfilment of export obligation upto a period of two years or regularisation of shortfall in export obligation, not exceeding five per cent of such export obligation, the said block-wise period or overall period of export obligation may be extended and the said shortfall in export obligation be condoned by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs :

Provided that where the CIF value of licence is not less than Rs. 100 crores extension of overall period of export obligation shall not be allowed;

3. where the goods are found defective or unfit for use, the said goods may be re-exported back to the foreign supplier within 3 years from the date of payment of duty on the importation thereof :

Provided that at the time of re-export the goods are identified to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs as the goods which were imported.

TABLE

S. No.	Description of goods
(1)	(2)
1.	Capital goods.
2.	Capital goods in SKD/CKD condition to be assembled into capital goods by the importer.
3.	Components of capital goods required for assembly or manufacture of capital goods by the importer.
4.	Spare parts not exceeding twenty per cent of the value of goods specified at serial Nos. 1, 2 and 3 as actually imported and required for maintenance of capital goods so imported, assembled, or manufactured.

Explanation :—In this notification,—

(1) "Capital Goods" means any plant, machinery, equipment and accessories required for—

(a) manufacture or production of other goods, including packaging machinery and equipments, refractories, refrigeration equipment, power generating sets, machine tools, catalysts for initial charge, and equipment and instruments for testing, research and development, quality and pollution control;

(b) use in manufacturing, mining, agriculture, marine, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, viticulture and sericulture;

(c) rendering services;

(2) "Export and Import Policy" means the Export and Import Policy 2002—2007 published vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce, No. 1/2002—2007, dated the 31st March, 2002;

(3) "Licensing Authority" means the Director General, Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant a licence under the said Act;

(4) "export obligation",—

(i) in relation to importers other than those rendering services, means export, to a place outside India, of products manufactured with the use of capital goods imported, assembled or manufactured in terms of this notification;

Provided that export obligation may also be fulfilled by

(a) export of same product capable of being manufactured with the use of said capital goods; or

(b) export of same product manufactured in different units of the licence holder; or

(c) through third party exports made by an exporter or manufacturer on behalf of the licence holder by exporting the same product and in such cases, *inter-alia* the Shipping bills shall indicate name of both the third party and licence holder; or

(d) making supplies of same products in terms of sub-paras (a) (b) (d) (e) (f) (g) (h) (i) and (j) of paragraph 8.2 of the Export and Import Policy;

(ii) in relation to importers rendering services, means, receiving payments in freely convertible foreign currency for services rendered through the use of such capital goods.

[F. No. 605/201/2001-DBK]

ALOK JHA, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.